न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जयपुर

अपील संख्या 91/2020 जिला सीकर ।

1. माला पुत्र काना
2. सुरजी देवी पत्नी स्व0 श्री सल्ला
3. पुरण पुत्र सल्ला
4. सुवालाल पुत्र स्व0 श्री सल्ला
5. ख्यालीराम पुत्र स्व0 श्री सल्ला
6. बलेदव पुत्र स्व0 श्री सल्ला
   समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम अजमेरी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
7. बनवारी पुत्र कालूराम जाति चमार निवासी गढी पंचायत समिति थानागाजी जिला अलवर हाल निवासी अजमेरी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर ।

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर दिनांक 13.04.2017 अन्तर्गत धारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री संदीप चौधरी।
2. रेस्पोडेंट की ओर से राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय

दिनांक–06.07.2021

1. यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर के निर्णय दिनांक 13.04.2017 के खिलाफ मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक 03.07.2020 को प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा ग्राम अजमेरी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 573/2. रकबा 0.2940, खसरा नम्बर 573/1 रकबा 1.4760 है0, खसरा नम्बर 570/4 रकबा 0.07 है0, खसरा नम्बर 568 रकबा 1.57 है0, खसरा नम्बर 567/6 रकबा 0.06 है0, खसरा नम्बर 579 रकबा 1.96 है0, खसरा नम्बर 26 रकबा 1.36 है0, खसरा नम्बर 885/28 रकबा 0.81 है0, खसरा नम्बर 885/28 रकबा 0.81 है0, खसरा नम्बर 24 रकबा 1.69 है0, खसरा नम्बर 29 रकबा 1.56 है0, खसरा नम्बर 30 रकबा 1.91 है0, खसरा नम्बर 31/1 रकबा 0.9650 है0, खसरा नम्बर 32 रकबा 2.40 है0, खसरा नम्बर 33 रकबा 3.57 है0, खसरा नम्बर 35 रकबा 1.43 है0, खसरा नम्बर 36 रकबा 1.26 है0, खसरा नम्बर 38 रकबा 0.90 है0 एवं खसरा नम्बर 41 रकबा 0.76 है0 में से प्रस्तावित रकबा गैर मुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने बावत प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस के उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर को भिजवाये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर ने "राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के परिपत्र प. 3(2)राज–6/2003 /पार्ट

अतिरिक्त संभागीय
जयपुर

/जयपुर दिनांक 10.8.2016 एवं जिला कलक्टर सीकर के पत्रांक 2619–44/राजस्व/2016/दिनांक 16.08.2016 एवं 4328–53 राजस्व/2016 दिनांक 02.11.2016" के द्वारा दिये गये निर्देश की पालना में ग्राम अजमेरी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 573/2, रकबा 0.2940, खसरा नम्बर 573/1 रकबा 1.4760 है0, खसरा नम्बर 570/4 रकबा 0.07 है0, खसरा नम्बर 568 रकबा 1.57 है0, खसरा नम्बर 567/6 रकबा 0.06 है0, खसरा नम्बर 579 रकबा 1.96 है0, खसरा नम्बर 26 रकबा 1.36 है0, खसरा नम्बर 885/28 रकबा 0.81 है0, खसरा नम्बर 885/28 रकबा 0.81 है0, खसरा नम्बर 24 रकबा 1.69 है0, खसरा नम्बर 29 रकबा 1.56 है0, खसरा नम्बर 30 रकबा 1.91 है0, खसरा नम्बर 31/1 रकबा 0.9650 है0, खसरा नम्बर 32 रकबा 2.40 है0, खसरा नम्बर 33 रकबा 3.57 है0, खसरा नम्बर 35 रकबा 1.43 है0, खसरा नम्बर 36 रकबा 1.26 है0, खसरा नम्बर 38 रकबा 0.90 है0 एवं खसरा नम्बर 41 रकबा 0.76 है0 में से प्रस्तावित रकबे की भूमि नक्शा ट्रेस में अंकित/दर्ज खाजेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकीन रास्ता के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश दिये।

3. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत कर अपील अपीलांट्स स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर के निर्णय दिनांक 13.04.2017 को निरस्त करने की प्रार्थना की गई।
4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। अधिवक्ता अपीलांटस एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।
5. अपीलान्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का ध्यान पूर्वक अवलोकन नही कर भूमि के रिकार्डेड काबिज खातेदार काश्तकारो को बिना सूचना व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये ही, जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है वह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो के पूर्णतया प्रतिकूल है। यदि किसी रिकार्डेड खातेदार काश्तकार की भूमि को कम कर उसमें किसी प्रकार का रास्ता कायम किया जाता है तो उसे अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाता है परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा एक पक्षीय अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अधिनस्थ न्यायालय ने न तो अपीलांट को सुनवाई का मौका दिया और बिना किसी प्रकार की कोई साक्ष्य सबूत लिये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो विधि के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन दिनांक 13.04.2017 निरस्त फरमाया जावे। अधिवक्ता अपीलांट्स ने प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम के तथ्यो को दोहराते हुये कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 13.04.2017 का है लेकिन अपीलांट्स को जानकारी का अभाव होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी नही थी तथा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी दिनांक 17.06.2020 को हुई है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स का प्रार्थना पत्र धारा 05 भी स्वीकार फरमाया जावे।
6. राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि ग्राम अजमेरी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में स्थित आराजी खसरा नम्बर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

573/2, रकबा 0.2940, खसरा नम्बर 573/1 रकबा 1.4760 है0, खसरा नम्बर 570/4 रकबा 0.07 है0, खसरा नम्बर 568 रकबा 1.57 है0, खसरा नम्बर 567/6 रकबा 0.06 है0, खसरा नम्बर 579 रकबा 1.96 है0, खसरा नम्बर 26 रकबा 1.36 है0, खसरा नम्बर 885/28 रकबा 0.81 है0, खसरा नम्बर 885/28 रकबा 0.81 है0, खसरा नम्बर 24 रकबा 1.69 है0, खसरा नम्बर 29 रकबा 1.56 है0, खसरा नम्बर 30 रकबा 1.91 है0, खसरा नम्बर 31/1 रकबा 0.9650 है0, खसरा नम्बर 32 रकबा 2.40 है0, खसरा नम्बर 33 रकबा 3.57 है0, खसरा नम्बर 35 रकबा 1.43 है0, खसरा नम्बर 36 रकबा 1.26 है0, खसरा नम्बर 38 रकबा 0.90 है0 एवं खसरा नम्बर 41 रकबा 0.76 है0 के खातेदारो की भूमियों में से होकर प्रचलित रास्ता जाने के कारण नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शाते हुये रास्ते को राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवाने बाबत प्रस्ताव तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने रिपोर्ट पटवारी हल्का खटकड, नजरी नक्शा एवं जमाबन्दी की प्रति संलग्न कर उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोनपुर जिला सीकर को प्रेषित की थी जिस पर उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.04.2017 पारित कर विधि के प्रावधानों के अनुसार प्रचलित रास्ते को गैरमुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये हैं। उनका कहना है कि अपीलाधीन आदेश तहसीलदार, भू0अ0 निरीक्षक एवं पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे।

7. मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकंन किया गया। सर्वप्रथम अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को निर्णित करना हम उचित समझते है। प्रकरण के तथ्यों तथा अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र धारा 5 में अंकित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये तथा रेस्पोंडेन्ट द्वारा इसके विरोध में कोई शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं करने एवं मियाद के संबंध में नरम रूख अपना कर प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा किया जाता है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अनुसार ग्राम अजमेरी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 573/2, रकबा 0.2940, खसरा नम्बर 573/1 रकबा 1.4760 है0, खसरा नम्बर 570/4 रकबा 0.07 है0, खसरा नम्बर 568 रकबा 1.57 है0, खसरा नम्बर 567/6 रकबा 0.06 है0, खसरा नम्बर 579 रकबा 1.96 है0, खसरा नम्बर 26 रकबा 1.36 है0, खसरा नम्बर 885/28 रकबा 0.81 है0, खसरा नम्बर 885/28 रकबा 0.81 है0, खसरा नम्बर 24 रकबा 1.69 है0, खसरा नम्बर 29 रकबा 1.56 है0, खसरा नम्बर 30 रकबा 1.91 है0, खसरा नम्बर 31/1 रकबा 0.9650 है0, खसरा नम्बर 32 रकबा 2.40 है0, खसरा नम्बर 33 रकबा 3.57 है0, खसरा नम्बर 35 रकबा 1.43 है0, खसरा नम्बर 36 रकबा 1.26 है0, खसरा नम्बर 38 रकबा 0.90 है0 एवं खसरा नम्बर 41 रकबा 0.76 है0 में से प्रस्तावित रकबा गैर मुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने बाबत प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस के तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर ने उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर को भिजवाये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर, जिला सीकर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.04.2017 पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर की पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि अपीलान्टस वादग्रस्त भूमि के खातेदार होने से प्रश्नगत अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.04.2017 से प्रभावित एवं हितबद्ध व्यक्ति हैं, जिन्हें प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुसार नोटिस जारी कर सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के पश्चात ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करना चाहिये

प्रतिलिपि संभागीय आयुक्त

था, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को बिना सुने एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिये ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो बहाल रखे जाने योग्य नही है।

8. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.04.2017 निरस्त किया जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि वे विवादित आराजीयात से प्रभावित पक्षकारो की सुनवाई कर विधि के प्रावधानों के तहत पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

9. अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो

(सेवा राम स्वामी)
अति.सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

10. निर्णय आज दिनांक 06.07.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सेवा राम स्वामी)
अति.सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर